

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं. 50/24	धारा अंतर्गत 212 RTA	ग्राम उदपुरिया	तहसील छबडा
वादी राजमल	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी राधेश्याम	
वकील :- दिनांक	श्री टीकमचन्द ढोडरिया कार्यवाही एवं आदेश	आदेश पत्रक	वकील:- श्री इनामुल हक विविध संदर्भ
09.07.2024	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम उदपुरिया तहसील छबडा में स्थित खसरा नम्बर 76/01 रकबा 0.9105 है0 का प्रार्थी खातेदार कृषक है यह भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काशत में चली आ रही है। अप्रार्थीगण बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करके कब्जा करना चाहते हैं अप्रार्थीगण जबरन बलपूर्वक फसल बुवाई करने लगे प्रार्थी व उसके परिवार वालो ने रोका तथा मना किया तो उनके साथ मारपीट करने लगे। प्रार्थी और उसके परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से उन्हे भूमि पर कब्जा करने से रोका। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के न्यायालय में पेश किया है।</p> <p>अप्रार्थीगण भूमि पर जबरन कब्जा नही करे इसलिए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो से यह जाहिर है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी की है अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहता है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो अपरिमित क्षति होगी। दोनो पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है प्रकरण की परिस्थियों को देखते हुए कोई अनावश्यक विवाद पैदा न हो। न्यायालय अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम उदपुरिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 76/1 रकबा 0.9105 है0 पर जबरन बलपूर्वक कब्जा नही करे मौके की यथारिथति आमादी दिनांक 12.08.2024 तक बनाये रखे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जावे अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.08.2024 को पेश है।</p>		
12-8-24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील जर्जी उद.। कर्जरी गण की ओर है श्री टेकन फरीक एड. का वकालत पेश हुआ। इव एकाग पक्षाना रहेगा। पत्रावली वाहि जकाग दिनांक 12.9-24 को पेश हो</p>		


उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)



दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
17.9.24	<p>आज पीठारीन अधिकारी के अपस्थिति ^{स्वाभाविक} अपस्थिति में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.10.24 को पेश हो।</p> <p><i>hvy</i> रॉडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>
21.10.24	<p>पत्रावली पेश हुई व कुल्लार करीकोर उपर जवाब पेश नहीं हुआ लगन चाहते हैं पूर्व स्थान पथावत रहेगा। पत्रावली का जवाब दिनांक 27-11-24 को पेश हो।</p>
27.11.24	<p>आज पीठारीन अधिकारी के अपस्थिति ^{अपस्थिति} में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28.1.25 को पेश हो।</p> <p><i>hvy</i> रॉडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>
8.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। व कुल्लार करीकोर उपर पेश नहीं हुआ। लगन चाहते हैं। पूर्व स्थान पथावत रहेगा। पत्रावली वापस जवाब दिनांक 11.2.25 को पेश हो।</p>
11.2.25	<p>पत्रावली पेश हुई व कुल्लार करीकोर उपर पेश नहीं हुआ। लगन चाहते हैं। पूर्व स्थान पथावत रहेगा। पत्रावली वापस जवाब दिनांक 25.3.25 को पेश हो।</p>
25.3.25	<p>पत्रावली पेश हुई व कमील जमीन व स्वयं जमीन उपर नहीं है व कमील जमीन व स्वयं जमीन को कार आवाज लगाना नहीं बावगड डूना के न्याया. के उपर नहीं होने के कारण जमीन का जमीन पत्र अडल हागरी अडल मेखी में कार खिना जाल है पत्रावली केवल अडल होना वाद वामील व कमील के आदिप दफर हो।</p>